**UPSR**040012852026

## न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

**पीठासीन अधिकारी–** (विनीत कुमार यादव) **- उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP**02316

बेल अप्लीकेशन/620/2026

**राज्य बनाम. राम बहादुर उर्फ अर्जुन गौतम**

दिनांक–12.03.2026

यह जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा संख्या–3713/2025 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती में अभियुक्त **रामबहादुर उर्फ अर्जुन गौतम** ने इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया है कि उसे महज हैरान व परेशान करने की नीयत से फंसाया गया है। उसके पास से पुलिस ने कोई आपत्तिनजक वस्तु बरामद नहीं किया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह निर्दोष हैं। अतः उसे उचित जमानतों पर रिहा किया जाये।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त की ओर से स्वयं को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया जिस पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त की प्रथम उपस्थिति है। मामले में विवेचना पूर्ण होकर आरोपपत्र आ चुका है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध जमानतीय प्रकृति का है।

अतः अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त को बीस हजार रुपये का जाती मुचलका एवं समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त किया जाये।

**(विनीत कुमार यादव)**
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
श्रावस्ती।